To Release Tube-well Connections

***5 – Smt. NAINA SINGH CHAUTALA (Badhra):**

Will the Energy Minister be pleased to state: -

a) the reason for not releasing the tubewell connections of electricity to those solar tubewell connection holding farmers who have applied before the year 2018; and
b) whether there is any proposal under consideration of the Government to formulate any scheme by adding optional or alternative mode after removing the imposed condition of giving solar connection of 10 B.H.P. motor capacity/7.5 KW in the allocation of tubewell connection to the applicant farmers during the year 2019 to 2021; if so, the time by which the said proposal is likely to be materialized?

The following reply is submitted:

Sh. Ranjit Singh, Energy Minister

a) Sir, Haryana Government provides 75% subsidy (30% MNRE + 45% State Govt.) on installation of solar agriculture pumps. The farmer has to bear only 25% of the total installation cost. Solar agriculture pump is a successful alternative of electricity tubewell for irrigation purpose. It also results in saving of subsidy given for electricity for running tubewell connections. The aim of this scheme is to provide reliable, continuous & day-time green renewable energy to the farmers.

   In order to promote green renewable energy, the State Govt. has decided to release the new tubewell connections upto 10 BHP on solar mode.

b) No, Sir. There is no such proposal under consideration.

टयूबवैल कनेक्शन जारी करना

*5 श्रीमती नैना सिंह चौटाला (बाढड़ा):

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बताएंगे किः-

(क) वर्ष 2018 से पहले सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन धारकों को बिजली के कनेक्शन जारी न करने के कारण क्या हैं ; तथा

(ख) क्या वर्ष 2019 से 2021 के दौरान आवेदक किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन के आवंटन में 10 बी.एच.पी. मोटर क्षमता/7.5 किलोवाट के सोलर कनेक्शन देने की लगी शर्त को हटाकर ऐच्छिक या वैकल्पिक प्रणाली को जोड़कर कोई योजना बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव के कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

निम्नलिखित उत्तर प्रस्तुत हैः

श्री रणजीत सिंह, ऊर्जा मंत्री

(क) श्रीमान जी, हरियाणा सरकार सोलर कृषि पंपों की स्थापना पर 75% सब्सिडी (30% एमएनआरई + 45% राज्य सरकार) प्रदान करती है। किसान को कुल स्थापित लागत का केवल 25% वहन करना पड़ता है। सिंचाई के उद्देश्य के लिए सोलर कृषि पम्प बिजली ट्यूबवेल का एक कामयाब विकल्प है। इससे ट्यूबवेल कनेक्शन चलाने के लिए बिजली पर दी गई सब्सिडी की भी बचत होती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को भरोसेमंद, निरंतर और दिन के समय हरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान करना है।

हरित नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, राज्य सरकार ने 10 बीएचपी तक के नये ट्यूबवेल कनेक्शन सोलर मोड पर जारी करने का निर्णय लिया है।

(ख) नहीं, श्रीमान जी। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।